कोंस्टीटूशनल कंडक्ट ग्रुप की ओर से प्रेस सूचना

11 अक्टूबर 2020

हम All India and Central Services से संबंधित पूर्व जन सेवक हैं और हमने केंद्र व विभिन्न राज्य सरकारों के साथ काम किया है। हम संवैधानिक लोकाचार की उन्नति के लिए कार्यव्रत हैं। सामूहिक तौर पे हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं हैं, और ग़ैरतरफ़दारी और निष्पक्षता में दृढ़ विश्वास रखते हैं।

फरवरी 2020 में हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों के भयावह स्वरूप, हिंसा के बड़े पैमाने और जान-माल के नुकसान के मद्देनज़र, हम ये समझदारी रखते हैं कि एक विशेषज्ञ संस्था को दंगों के पहले, दौरान और उपरान्त घटनाक्रम की विस्तृत जांच करनी चाहिए। इसकी ज़रुरत ख़ासकर इसलिए भी महसूस होती है कि दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही इन दंगों की जांच को पिछले दिनों व्यापक निंदा का सामना करना पड़ा है। हमारा निष्कर्ष ये है कि नौकरशाही, ऊपरी-अदालतों और पुलिस में विश्वसनीयता और साख रखने वाली एक कमेटी, दंगों और उनके परिणामों की निष्पक्ष समझ स्थापित करने में सहयोग करने के लिए अनुकूल रहेगी। हमने निम्नलिखित लोक सेवा और इंसाफ़ के लिए प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित पूर्व जन पदाधिकारियों को ये महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी उठाने के लिए आमंत्रित किया है।

१. जस्टिस मदन लोकुर, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश
२. जस्टिस ए पी शाह, मद्रास व दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व प्रमुख न्यायाधीश और न्याय आयोग के पूर्व अध्यक्ष
३. जस्टिस आर एस सोढ़ी, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश
४. जस्टिस अंजना प्रकाश, पटना उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश
५. जी के पिल्लई, सेवा मुक्त आईएएस, पूर्व गृह सचिव, भारत सरकार
६. मीरा चड्ढा बोरवांकर, सेवा मुक्त आईपीएस, पूर्व महानिदेशक पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो, भारत सरकार

इस तरह से गठित इस कमेटी को **"Citizens Committee on the Delhi Riots of February 2020: Context, Events and Aftermath"** नामित किया जायेगा। इस कमेटी का काम दिल्ली दंगों और उनके परिणामों के संदर्भ में हुई करनी और भूल-चूक की सामयिक रिपोर्ट तैयार करना है। कमेटी अपनी प्रक्रिया ख़ुद सुनिश्चित करेगी। ये कमेटी अपनी समापन रिपोर्ट कार्य-प्रणाली शुरू करने के बारह सप्ताह बाद प्रस्तुत करेगी।

कमेटी के **विचारार्थ विषय** निम्नलिखित हैं:
१. दिल्ली दंगों के पहले, दौरान और उपरान्त घटनाओं की, और हिंसा से निबटने और क़ानून और व्यवस्था बहाल करने हेतु प्रशासन की प्रतिक्रिया की जांच।
२. दंगों की जांच के संदर्भ में पुलिस की प्रतिक्रिया का विश्लेषण।
३. दंगों के पूर्व, दौरान और उपरान्त की घटनाओं के बारे में मुख्यधारा और सोशल मीडिया द्वारा हुए सूचना प्रसारण, और उसके घटनाक्रम पर हुए असर की जांच।
४. मुज़लिमों को सहायता और क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने में नागरिक प्रबंध की भूमिका का मूल्यांकन।

CCG को कमेटी से अपेक्षा है कि वह अपनी सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता, व संचालन में सत्यनिष्ठा की लिए प्रतिबद्ध रहेगी, और ये सुनिश्चित करेगी कि कमेटी से जुड़े सभी व्यक्ति प्रतिष्ठित और सम्माननीय हों, और सभी संसूचना की गोपनीयता सुरक्षित रहे.

किसी भी जानकारी या सवाल हेतु ईमेल के ज़रिये संपर्क करें: ccgenquiry10@gmail.com